N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0199   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 12/09/2024 12:57 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 05/09/2024   Date To (दिनांक तक): 09/09/2024

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 15:15 बजे   Time To (समय तक): 13:59 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 12/09/2024   Time (समय): 10:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 12/09/2024 12:57:36 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 360 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): Bhindar Road,dist.Udaipur, Sri Krishna emitar sewa kendra, Studio and Stationry, keer ki chokee choraha

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): NAGJEERAM JAT

(b) Father's Name (पिता का नाम): UDELAL JAT URF UDYARAM JAT

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1976 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MNNAKHERA,UDAKHERA, MAVLI, MAVLI, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MNNAKHERA,UDAKHERA, MAVLI, MAVLI, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHARAT KUMAR		पिता:SURGYANI	1. GANGARSOLI,KUMEHR,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय , वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 05.09.2024 को समय करीब 03.15 पीएम पर परिवादी नगजीराम पिता उदेलाल जी जाट, उम्र 48 साल निवासी मन्नाखेडा त. मावली जिला उदयपुर ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, उदयपुर पर उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव जोशी के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति के इस आशय की प्रस्तुत की कि " मैं प्रार्थि नगजीराम पिता उदेलाल जी जाट 48 साल निवासी मन्नाखेडा त. मावली जिला उदयपुर का रहने वाला हू मैंने 2016 में बोतलाल पिता वजेराम जी से 1 बिघा जमीन पटवार हल्का ढुढिया मैं खरीदी जिसका नामान्तरण मेरे नाम पर करवाया फिर 2021 मै मैंने देखा तो उक्त जमीन बोतलाल पिता दयाराम के नाम पर दर्ज हो गई जिसमें सुदृडीकरण करवाने के लिए पटवार जी को नामान्तर कागज पेश कर निवेदन किया तो पटवार हल्का ढुढिया पटवारी श्री भरत जी मुझसे उक्त कार्य करने के लिए रिश्वत के लिए दस हजार रूपये की नाजायज मांग कर रहे है मैं उनको रिश्वत नही देना चाहता हू मेरे जाइज काम के बदले मुझसे दस हजार रूपये पटवारी सा. भरत जी को उनकी मांग के अनुसार देकर रंगे हाथों पकडवाने चाहता हू मेरे व भरत जी पटवारी के किसी प्रकार की रंजिस नही है और कोई लेन देन भी बाकी नही है मुझसे नाजायज रिश्वत राशि दस हजार रूपये देते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं रिपोर्ट पेश करता हू कानुनी कारवाही करावे" परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दरियाफ्त की गई तो परिवादी द्वारा अवगत कराया गया कि " मैंने 2016 में बोतलाल पिता वजेराम जी से एक बिघा जमीन पटवार हल्का ढुढिया मैं खरीदी जिसका नामान्तरण मेरे नाम पर करवाया फिर 2021 में मैंने देखा तो उक्त जमीन बोतलाल पिता दयाराम के नाम पर दर्ज हो गई जिसमें शुद्धिकरण करवाने के लिए पटवार हल्का ढुंढीया के पटवारी भरत जी को नामान्तरण के कागज पेश कर निवेदन किया तो पटवारी भरत जी, मुझसे उक्त कार्य करने के लिए दस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे है"। परिवादी श्री नगजीराम की हस्तलिखित रिपोर्ट एवं मजीद पूछताछ से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध का पाया जाने से परिवादी श्री नगजीराम को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही से अवगत करा पटवारी श्री भरत से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि आज तो देर हो जायेगी, कल दिनांक 06.09.2024 को सुबह भरत जी पटवारी उपतहसील कार्यालय सनवाड के पिछे वाली कॉलोनी में उनके निवास स्थान पर मिल जायेगे, वहाँ पर वो मुझसे रिश्वत राशि मांग संबंधी वार्ता कर लेगें। जिस पर श्री चन्द्रकांत हैड कानि से कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय रिक्त नया मेमोरी कार्ड मंगवाकर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रकिया को समझाया गया। परिवादी को अवगत कराया कि दिनांक 06.09.2024 को सुबह 09.00 बजे ब्यूरो का कानि श्री दिनेश कुमार मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के आपको फतहनगर बस स्टेण्ड पर मिल जायेगा। परिवादी श्री नगजीराम को गोपनियता रखने की हिदायत देकर रूकसत किया गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय रिक्त मेमोरी कार्ड के कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। श्री दिनेश को परिवादी श्री नगजीराम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाने एवं संदिग्ध पटवारी की आम शौहरत के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु दिनांक 06.09.2024 को सुबह कार्यालय की अलमारी में रखे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय रिक्त नया मेमोरी कार्ड को लेकर 09.00 बजे फतहनगर बस स्टेण्ड पहुचने व परिवादी श्री नगजीराम से सम्पर्क करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। तत्पश्चात दिनांक 06.09.2024 समय करीब 1.30 पीएम पर श्री दिनेश कुमार कानि मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के उपस्थित कार्यालय आया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री दिनेश कानि द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्रस्तुत कर बताया कि "श्रीमान के निर्देशानुसार आज सुबह समय करीब 07.00 बजे ब्यूरो कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय रिक्त नया मेमोरी कार्ड के लेकर फतहनगर के लिये रवाना हुआ। समय करीब 09.10 ए.एम. पर फतहनगर बस स्टेण्ड पहुचा जहाँ परिवादी श्री नगजीराम उपस्थित मिला, उसके बाद हम दोनो परिवादी की मोटरसाईकल से वहाँ से रवाना होकर सनवाड चौराहा के पास पहुचें। जहाँ मैंने परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रकिया को समझाईश कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के लिये कहा तो परिवादी श्री नगजीराम ने बताया कि श्री भरत पटवारी, उपतहसील कार्यालय सनवाड के पिछे वाली कॉलोनी में ही मकान में रहते है वो अभी वही पर मिल जायेगें। उसके बाद हम दोनो सनवाड चौराहा से उपतहसील कार्यालय सनवाड की ओर रवाना हुए। वहाँ पहुच कर परिवादी ने बताया कि पिछे वाली कॉलोनी में स्थित मकान में ही पटवारी श्री भरत रहता है, जिस पर मैंने समय करीब 09.36 एएम

पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के लिये परिवादी को देकर पटवारी के मकान की तरफ रवाना किया गया, मैं आस-पास ही अपनी उपस्थिति छुपाये परिवादी के इन्तजार में रहा। कुछ देर बाद परिवादी मेरे पास आया, हम दोनो वहाँ से थोडी दुर एकान्त स्थान पर गये, जहाँ परिवादी ने मुझे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर दिया, जिसे मैंने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि "मैंने पटवारी के मकान के पास जाकर उन्हे फोन किया तो वो मकान से बाहर मेरे पास आये, उन्होने मुझसे शुद्धिकरण जमाबन्दी की नकल देने व मेरे पैतृक जमीन के हकत्याग करवाने संबंधी बातचित की मैंने मेरे पास रखे चार हजार रूपये पटवारी श्री भरत को दिये जो उन्होने लेकर गिनने के बाद रख लिये, मेरे द्वारा पटवारी साहब को रिश्वत राशि 10,000/- रूपये में से कम करने हेतु निवेदन करने पर उन्होंने नौ हजार रूपये लेने हेतु सहमति दी। जिस पर शेष पॉच हजार रूपये रिश्वत राशि मैंने परसु देने के लिये कहाँ तो उन्होने सहमति देते हुए कहाँ कि 'मैं जमाबन्दी नकल व्हॉट्सएप कर दुंगा जिसकी प्रिन्ट निकाल लेना।' उसके बाद मैं वहाँ से रवाना होकर आपके पास आया।" उसके बाद मुझ कानि द्वारा उक्त हालात श्रीमान को जरिये मोबाईल कॉल कर निवेदन किये थे, तत्पश्चात श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी श्री नगजीराम को गोपनियता बरतने की एवं संदिग्ध पटवारी श्री भरत को दी जाने वाली शेष रिश्वत राशि पॉच हजार रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 08.09.2024 को प्रात 09.00 एएम ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने की हिदायत दी जाकर रूकसत कर मैं वहाँ से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय हाजिर आया।" मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में दर्ज वार्ता को सुना गया तो कानि दिनेश द्वारा बताये गये तथ्यो एवं संदिग्ध पटवारी श्री भरत द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांग करने एवं चार हजार रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने की पुष्टि हुई। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को यथा स्थिति में कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 07.09.2024 समय करीब 05.35 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कानि श्री दिनेश कुमार ने बताया कि "परिवादी श्री नगजीराम का मेरे मोबाईल पर समय करीब 05.31 पीएम पर कॉल आया, परिवादी ने बताया कि दिनांक 08.09.2024 को मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं दिनांक 08.09.2024 को एसीबी कार्यालय उदयपुर नही आ सकता हू"। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि श्री दिनेश को परिवादी से वार्ता कर दिनांक 09.09.2024 को प्रातः 09.00 एएम पर संदिग्ध श्री भरत पटवारी को दी जाने वाले रिश्वत राशि 5,000/- रुपये की व्यवस्था कर कार्यालय पर उपस्थित होने व गोपनियता रखने की हिदायत देने हेतु कहा गया तथा चौकी हाजा के समस्त स्टॉफ को दिनांक 09.09.2024 को प्रात 09.00 बजे ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवाया गया। दिनांक 09.09.2024 समय 09.20 एएम पर ट्रेप कार्यवाही मे दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से गवाह तलबी हेतु आयुक्त, उदयपुर विकास प्राधिकरण के नाम तहरीर जारी प्रेषित की गई। परिवादी श्री नगजीराम एवं मनोनित स्वतंत्र गवाहान श्री यशदीप आमेटा पुत्र श्री मदन लाल आमेटा, उम्र 35 वर्ष, निवासी ब्रह्मपुरी, तितरडी, जिला उदयपुर हाल वरिष्ठ प्रारूपकार, कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, जिला उदयपुर व श्री विजय कुमार नायक पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल नायक, उम्र 43 वर्ष, निवासी गांव आडीवली, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर हाल भू.अ. निरीक्षक, कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, जिला उदयपुर के उपस्थित ब्यूरो चौकी आने पर हर दोनो गवाहो को ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की स्वीकृति चाही गई तो हर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति व्यक्त की। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री नगजीराम एवं स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी की लिखित रिपोर्ट को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पढकर सुनाई गई तो परिवादी ने लिखित रिपोर्ट शब्द ब-शब्द सही होकर स्वंय की हस्तलिपि में होना व उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होने की ताईद की। दोनो स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर करवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कुमार कानि द्वारा दिनांक 06.09.2024 को समय करीब 09.36 एएम पर परिवादी श्री नगजीराम व संदिग्ध श्री भरत पटवारी के मध्य स्थान उपतहसील कार्यालय सनवाड के पिछे वाली कॉलोनी श्री भरत के मकान के पास हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय की अलमारी से मंगवाकर स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष उक्त वार्ता को चलाकर सुनाई गई तो स्वतंत्र गवाहान द्वारा भी रिश्वत राशि मांग की पुष्टि की गई। समय करीब 11.00 एएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कानि ने दिनांक 06.09.2024 को समय करीब 09.36 एएम पर परिवादी श्री नगजीराम व संदिग्ध श्री भरत के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी, उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता को चलाकर सुनाई जाकर पृथक से शब्द व शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की गई। उक्त वार्ता में परिवादी ने अपनी आवाज के अलावा अन्य आवाज पटवार मण्डल ढुंढीया के पटवारी श्री भरत की होने की ताईद की। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 11.40 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री नगजीराम जाट को संदिंग्ध श्री भरत पटवारी, पटवार मण्डल ढुंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर की मांग अनुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये गये, नोटों के नम्बर निम्नानुसार है 1- 500 रूपये का एक नोट नंबर 5 QT 823735, 2- 500

रूपये का एक नोट नंबर 7 NT 481364, 3- 500 रूपये का एक नोट नंबर 9 KE 201957, 4- 500 रूपये का एक नोट नंबर 4 VE 179444, 5- 500 रूपये का एक नोट नंबर 3 ET 135807, 6- 500 रूपये का एक नोट नंबर 6 NC 783142, 7- 500 रूपये का एक नोट नंबर 2 DD 624862, 8- 500 रूपये का एक नोट नंबर 5 BE 958621, 9- 500 रूपये का एक नोट नंबर 0 PU 839341, 10- 500 रूपये का एक नोट नंबर 2 QV 682646 उपरोक्त प्रस्तुत नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित कर दोनों स्वंतत्र गवाहान से मिलान करवाया गया, स्वतंत्र गवाह श्री यशदीप आमेटा द्वारा परिवादी श्री नगजीराम जाट की तलाशी लिवाई गई, जिसमें परिवादी के पेन्ट की पिछली दाहिनी जेब में कोई वस्तु नही रहने दी। तत्पश्चात् श्री रमेश कुमार वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी में से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर अखबार बिछा कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 5,000/- रूपये के समस्त नोटो के दोनों तरफ फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उपरोक्त नोटो को परिवादी द्वारा पहनी हुई पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब में कोई शैः न छोड़ते हुए मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री राजेश कानि से ट्रेप बॉक्स में रखे एक नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवा कर कार्यालय कक्ष में रखे पानी के कैम्पर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया, इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग रंगहिन रहा, जिसे गवाहान, परिवादी एवं उपस्थितिनों को दिखाया गया, तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहिन घोल में श्री रमेश कुमार वरिष्ठ सहायक की अंगुलियों व अंगुष्ठ जिन पर फिनॉफ्थलीन पाउडर लगा हुआ है को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि संदिग्ध पटवारी रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि संदिग्ध ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को श्री रमेश कुमार वरिष्ठ सहायक से बाहर नाली में फिकवा कर उपरोक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व अखबार को जला कर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद आरोपी के शरीर के किसी भी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें तथा उक्त कार्यवाही में उपस्थित सदस्यों के हाथों को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री रमेश कुमार वरिष्ठ सहायक को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को पुनः कार्यालय की अलमारी में रखने और ब्यूरो कार्यालय में ही रूकने की आवश्यक हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही फर्द बनायी जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 12.05 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री नगजीराम, दोनो स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो के अधिकारी/ कर्मचारी का आपस में परिचय करवा कर परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहों से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने-अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या कानि दिनेश कुमार के मोबाईल पर मिस कॉल कर ईशारा करे एवं उक्त ईशारें के बारें में ट्रेप टीम के सदस्यो को अवगत कराया गया एवं परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर के संचालन की प्रक्रिया को पुनः समझाईस की गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी व श्री दिनेश कानि मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी की मोटरसाईकिल से, श्री मोहम्मद जाबीर उनि मय स्वतंत्र गवाहान, हैडकानि श्री मुनीर खान व श्री चन्द्रकान्त मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट वाहन इनोवा मय चालक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, पिन्टर व आवश्यक संसाधन के एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री राजेश कानि मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक के पटवार मण्डल ढुंढीया, तहसील मावली की तरफ रवाना हुए। समय करीब 12.37 पीएम पर कानि श्री दिनेश कुमार ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल वार्ता कर बताया कि संदिग्ध पटवारी का परिवादी के मोबाईल पर अभी थोडी देर पहले कॉल आया, पटवारी ने परिवादी को बडगांव काटे पर मिलने के लिये कहाँ तो परिवादी ने पटवारी से पटवार मण्डल ढुंढीया पर ही मिलने के लिये कहाँ। जिस पर संदिग्ध पटवारी ने कहा की आ कर कॉल कर देना। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डबोक तिराहा के पास वाहनां को रोड के साईड में खडा करवाया, परिवादी ने बताया कि मैंने पटवारी श्री भरत जी को लदाना होना बताया है लदाना से ढुंढीया जाने में करीब एक घण्टे का समय लगता है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री मोहम्मद जाबीर उनि, स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व टीम सदस्यां को कीर की चौकी चौराहा पंहुचकर अग्रिम निर्देश तक वही रूकने की हिदायत देकर अपने-अपने वाहनों से रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय वाहन के पिछे-पिछे रवाना हुआ। समय करीब 01.35 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादी व कानि दिनेश एवं श्री मोहम्मद जाबीर मय हमराहियान के अपने-अपने वाहनों से कीर की चौकी चौराहा के पास पहुचें। समय करीब 1.47 पीएम पर परिवादी को

संदिग्ध पटवारी की लोकेशन की जानकारी करने हेतु कहॉं, जिस पर परिवादी ने पटवारी के मोबाईल पर कॉल कर वार्ता कि तो वार्ता में पटवारी ने कीर की चौकी चौराहा भीण्डर जाने वाली रोड की तरफ ई-मित्र की दुकान पर होना बताकर वही पर परिवादी को मिलने के लिये बुलाया' उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में परिवादी के मोबाईल फोन का लाउड स्पीकर मोड ऑन कर रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री नगजीराम को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया की पुनः समझाईश कर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर रिश्वत राशि लेन देन वार्ता करने के लिये देकर संदिग्ध पटवारी द्वारा बतायी गई ई-मित्र की दुकान की तरफ रवाना किया, मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप टीम सदस्य कीर की चौकी चौराहा के आस-पास एवं कुछ दुरी रखते हुए अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में रहे। तत्पश्चात समय करीब 02.08 पीएम पर कानि दिनेश कुमार ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी द्वारा संदिग्ध पटवारी के रिश्वत राशि ग्रहण करने संबंधी निर्धारित ईशारा परिवादी के मिसकॉल करने से अवगत कराया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के पास पहुचे। जहॉं परिवादी ने ई-मित्र की दुकान के अन्दर खडे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही पटवारी श्री भरत है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार कानि श्री दिनेश कुमार ने परिवादी श्री नगजीराम से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसे अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि पटवारी श्री भरत ने अभी अभी मुझसे इनकी मांग अनुसार शेष रिश्वत राशि 5,000/- रुपये ग्रहण कर अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में रखे है, इन्होंने मुझे नकल की प्रति दी है जो मेरे पास है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति को स्वंय का व हमराहियान का परिचय देकर मंतव्य से अवगत करा उससे उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम पता श्री भरत कुमार पुत्र श्री सुरज्ञानी जाति, मीणा, उम्र 29 वर्ष, निवासी गांव गागर सोली, तहसील व पुलिस थाना कुम्हेर, जिला भरतपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल, ढूंढीया, तहसील मावली, जिला उदयपुर हाल निवास किराये का मकान, (श्री किशनलाल प्रजापत), कार्यालय उप तहसील, कार्यालय के पीछे, सनवाड, उदयपुर होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री भरत कुमार पटवारी को परिवादी श्री नगजीराम से रिश्वत राशि 5,000/- रूपये ग्रहण करने के संबंध में पूछा तो उसने बताया कि "नगजीराम जी द्वारा क्रय की गई जमीन के नामान्तरण में किसी अन्य का नाम गलत इन्द्राज हो गया था जिसके शुद्धिकरण के लिये इनके द्वारा आवेदन किया गया था, जिसके लिये इन्होने मुझे 5,000/- रूपये दिये थे जो अभी मेरी पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में मेने मैरे घर खर्च के अन्य रूपयों के साथ रखे हैं, मैंने इनको शुद्धिपत्र की नकल दी जो नगजीराम जी के पास है" उसके बाद श्री भरत पटवारी कहने लगा कि सर मुझसे गलती हो गई है मैं ऐसी गलती दुबारा नही करूंगा। श्री भरत की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विजय कुमार नायक भू.अ. निरीक्षक से लिवाई गई तो आरोपी श्री भरत की पहनी हुई जिन्स की पेन्ट बरंग नीले व वाईट शेडेड की सामने की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के कुछ नोट 100 रूपये का एक नोट एवं 20 रूपये का एक नोट मिला, जिन्हे स्वतंत्र गवाह श्री विजय कुमार नायक से गिनवाया गया तो कुल 10,120/- रूपये होना पाया। जिस पर स्वतंत्र गवाहान से उक्त राशि को पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट से मिलान करवाया गया तो बरामदशुदा रूपयों में रिश्वत राशि 5,000/- के नोटो के नम्बरों का मिलान फर्द पेशकशी नोट से हुबहू पाया गया। बरामदशुदा रिश्वत राशि 5,000/- रूपये एवं अतिरिक्त राशि 5,120/- रूपये को स्वतंत्र गवाह श्री विजय कुमार नायक के पास सुरक्षित रखवायी गई। आरोपी के पास मिले मोबाईल फोन रेडमी कम्पनी को स्वतंत्र गवाह श्री यशदीप आमेटा के पास सुरक्षित रखवाया गया। उक्त रिश्वत राशि बरामदगी की ऑडियो-विडियो रिकॉडिंग श्री राजेश कानि द्वारा मोबाईल फोन से की गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री नगजीराम द्वारा आरोपी द्वारा दी गई शुद्धिपत्र की नकल सुपुर्द की, जिस पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करा शामील पत्रावली की गई। आरोपी के पास मिले नीले रंग के बैग को स्वतंत्र गवाह श्री यशदीप आमेटा से चैक करवाया गया, तो उसमें पटवार मण्डल ढुंढीया से सम्बंधित सरकारी रिकॉर्ड के साथ परिवादी श्री नगजीराम के कार्य सम्बंधित रिकॉर्ड मिला, जिसमें क्रमशः पटवार हल्का ढुंढिया तहसील मावली, उदयपुर द्वारा जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज में शुद्धिकरण की रिपोर्ट जिस पर कार्यालय उप तहसीलदार सनवाड, उदयपुर द्वारा पत्रांक 43 दिनांक 29.08.2024 आदेश उप तहसीलदार के हस्ताक्षर एवं मोहर के संलग्न कुल 14 किता मिले, जिसमें परिवादी की राजस्व ग्राम भीलाखेडा का रिकॉर्ड पटवारी पटवार मण्डल ढुंढीया की मोहर लगी हुई पटवारी श्री भरत के हस्ताक्षरशुदा मिला, जिसके बारे में आरोपी श्री भरत कुमार को पूछा तो उसने बताया कि "उक्त दस्तावेज श्री नगजीराम द्वारा प्रस्तुत आवेदन के शुद्धिकरण आदेश मय रिकॉर्ड है एवं श्री नगजीराम को शुद्धिपत्र की नकल अभी थोडी देर पहले दी है, बैग में रखे शेष रिकॉर्ड एवं दस्तावेज पटवार मण्डल ढुंढीया के हैं।" उक्त दस्तावेज पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कार्यवाही में शामिल किये गये। बैग सहित शेष रिकॉर्ड की कार्यवाही में आवश्यकता नहीं होने से आईन्दा सम्बंधित विभाग के अधिकारी को सुपुर्द किया जावेगा। आरोपी का बैग मय दस्तावेज स्वतंत्र गवाह श्री यशदीप आमेटा के पास रखवाये गये। मौके पर व्यस्त चौराहा, आम रास्ता होकर भीड-भीड होने एवं आरोपी के हाथ एवं पेन्ट की दाहिनी जेब का धोवन मौके पर लिया जाना सम्भव नही होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु आरोपी श्री भरत के दाहिने हाथ को श्री मोहम्मद जाबीर उनि से एवं बाये हाथ को श्री चन्द्रकान्त हैडकानि से कलाई से उपर बाहो से पकडवाकर यथा स्थित प्राईवेट ट्रेक्सी वाहन में बैठाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी की निशा देही से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के

हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात समय 02.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री मोहम्मद जाबिर, आरोपी श्री भरत कुमार, हैडकानि श्री चन्द्रकान्त व श्री मुनीर खान एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान प्राईवेट वाहन से, कानि श्री दिनेश कुमार को आरोपी श्री भरत की स्कूटी नम्बर आरजे-27-ए.क्यू.-9168 से, मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय कानि श्री राजेश, परिवादी मय सरकारी वाहन मय चालक के वहाँ से पटवार मण्डल ढुंढीया पहुचे, पटवार मण्डल ढुंढीया पर लाईट की व्यवस्था नही होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना फतहनगर के लिये रवाना हुए। समय करीब 03.15 पीएम पर रवानाशुदा अपने-अपने वाहनो से पुलिस थाना फतहनगर पहुचें, मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने थाना के डीओ श्री जगन प्रसाद हैडकानि को स्वंय का एवं हमराहियान का परिचय देकर मनत्वय से अवगत करा कार्यवाही हेतु कक्ष उपलब्ध करवाने बाबत् अवगत कराया। डीओ श्री जगन प्रसाद हैडकानि ने फतहनगर थानाधिकारी के आवश्यक कार्य से उदयपुर की तरफ जाना बताकर पुलिस थाना फतहनगर का अनुसंधान कक्ष उपलब्ध कराया। आरोपी श्री भरत पटवारी के दोनो हाथों का एवं आरोपी की पहनी हुई जिन्स पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई का धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री मुनीर खान हैड कानि से प्राईवेट वाहन में रखे ट्रेप बॉक्स को मंगवाया गया। श्री मुनीर खान हैड कानि से ही ट्रेप बॉक्स में रखे साफ प्लास्टिक के दो पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर पुलिस थाना फतहनगर पर रखे पीने के पानी के केम्पर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यवाही की ऑडियो-विडियो रिकॉडिंग श्री राजेश कानि के मोबाईल फोन से प्रारम्भ करवाई गई। उक्त दोनो गिलासों में श्री मुनीर खान से ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कॉर्बोनेट की शीशी से एक-एक चम्मच पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितिनों ने स्वीकार किया। एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री भरत कुमार पटवारी के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुष्ठ को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया। इसी प्रकार आरोपी के बांये हाथ की अगुलियों व अंगुष्ठ को दूसरे पारदर्शी डिस्पोसल गिलास के रंगहीन घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कुमार कानि ने आरोपी के दाहिने हाथ के धोवन के घोल को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को पर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित किया तथा आरोपी के बाये हाथ के धोवन के घोल को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को पर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित किया जाकर श्री मोहम्मद जाबीर की सहायता से सिलचिट किया जाकर संबंधितो के कपडे व चीट पर हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार स्वतंत्र गवाह श्री विजय कुमार नायक के पास रखी बरामदशुदा रिश्वत राशि 5,000/- के नोटो के नम्बरों का मिलान पुनः दोनों गवाहों से पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया तो उपस्थित के समक्ष हुबहू निम्नानुसार होना पाया गया 1- 500 रूपये का एक नोट नंबर 5 QT 823735, 2- 500 रूपये का एक नोट नंबर 7 NT 481364, 3- 500 रूपये का एक नोट नंबर 9 KE 201957, 4- 500 रूपये का एक नोट नंबर 4 VE 179444, 5- 500 रूपये का एक नोट नंबर 3 ET 135807, 6- 500 रूपये का एक नोट नंबर 6 NC 783142, 7- 500 रूपये का एक नोट नंबर 2 DD 624862, 8- 500 रूपये का एक नोट नंबर 5 BE 958621, 9- 500 रूपये का एक नोट नंबर 0 PU 839341, 10- 500 रूपये का एक नोट नंबर 2 QV 682646 उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि 500-500 के 10 नोट कुल 5,000/- रुपये को श्री दिनेश कुमार कानि द्वारा कागज के ड्रार्क पिन्क गत्ते में सिल कर गत्ते पर पृष्ठाकन कर संबंधितो के हस्ताक्षर व सिलचिट करा उक्त रिश्वत राशि वजह सबुत होने से जप्त किया गया। आरोपी श्री भरत कुमार पटवारी की पहनी हुई पेन्ट ससम्मान उतरवाकर आरोपी के निवास से मंगवाई गई दुसरी पेन्ट पहनाई गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी की जिन्स की पेन्ट की दाहिनी जेब का धोवन लेने के लिये श्री राजेश कानि द्वारा ट्रेप बॉक्स में रखे साफ प्लास्टिक के एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर पुलिस थाना फतहनगर पर रखे पीने के पानी के केम्पर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया। उक्त गिलास में श्री राजेश कानि से ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कॉर्बोनेट की शीशी से एक चम्मच पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितिनो ने स्वीकार किया। पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री भरत कुमार पटवारी के जिन्स की पेन्ट की दाहिनी जेब जिसमें से रिश्वत राशि हुई को उलटाकर डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया। उक्त धोवन के घोल को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों पर मार्क P-1 व P-2 अंकित किया जाकर श्री मोहम्मद जाबीर उनि की सहायता से सिलचिट किया जाकर संबंधितो के कपडे व चीट पर हस्ताक्षर करवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी की जिन्स की पेन्ट की जेब को सुखाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करा सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलबन्द करा मार्क P अंकित कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। सिलचिटशुदा आर्टिकल्स को ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं फिनोफ्थलीन पाउ्डर एवं बरामदगी रिश्वती राशि मुर्तिब करवायी जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी से पूछताछ कर पूछताछ नोट मुर्तिब किया गया। समय करीब 6.35 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री राजेश कानि. मय सरकारी वाहन मय चालक के एवं स्वतंत्र

गवाहान व श्री मोहम्मद जाबीर उ.नि., श्री चन्द्रकान्त हैड कानि. एवं पुलिस थाना फतहनगर से महिला कानि. मारूति मीणा बेल्ट नम्बर 2160 मय आरोपी श्री भरत कुमार मीणा पटवारी मय आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक के पुलिस थाना फतहनगर से आरोपी के किराये के मकान गजानन्द विहार, उप तहसील कार्यालय सनवाड के पीछे, सनवाड, फतहनगर, जिला उदयपुर की खाना तलाशी लेने हेतु रवाना हुआ। आरोपी के उक्त निवास स्थान पहुच नियमानुसार खाना तलाशी ली जाकर फर्द मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान मय आरोपी के वहाँ से रवाना होकर पुलिस थाना फतहनगर पहुचा। तत्पश्चात समय करीब 08.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कुमार कानि द्वारा दिनांक 09.09.2024 को समय 12.35 पीएम, 01.49 पीएम पर परिवादी श्री नगजीराम व आरोपी श्री भरत कुमार पटवारी के मध्य मोबाईल फोन पर हुई दो वार्ताओ एवं वक्त रिश्वत राशि लेन देन रूबरू हुई वार्ता जिन्हे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को परिवादी, आरोपी श्री भरत कुमार मीणा पटवारी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ताओं को बारी-बारी से चलाकर सुनाई जाकर शब्द व शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की गई। उक्त वार्ता में परिवादी व आरोपी ने अपनी अपनी आवाज की पहचान कर अपनी-अपनी आवाज होने की ताईद की गई एवं परिवादी ने अपनी आवाज के अलावा दुसरी आवाज आरोपी श्री भरत कुमार पटवारी की होने की ताईद की। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन देन वार्ता मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 09.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कानि द्वारा परिवादी, आरोपी श्री भरत कुमार मीणा एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री नगजीराम व आरोपी श्री भरत कुमार मीणा पटवारी के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, मोबाईल फोन पर हुई दो वार्ताओ व वक्त रिश्वत राशि लेन देन के दौरान हुई वार्ता जो ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है, उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर रिकॉर्डशुदा वार्ताओ को एक पेनड्राईव सेनडिस्क कम्पनी 32 जीबी बरंग लाल व काला एवं दो सीडी (आरोपी सीडी व आईओ सीडी) में कॉपी कर सुरक्षित किया गया। पेनड्राईव में सुरक्षित की गई वार्ताओ एवं दोनों सीडियों में सुरक्षित की गई वार्ताओं की वाईस रिकॉडिंग फाईल की हेशवैल्यू लेपटॉप में इनस्टॉल AccessData FTK Imager सोफ्टवेयर का उपयोग कर निकाली गई, तो पेनड्राईव में सुरक्षित की गई वार्ताओ एवं दोनों सीडियों में सुरक्षित की गई वार्ताओं की वाईस रिकॉडिंग फाईल की हेशवैल्यू एक समान रही। जिस पर संबंधितां के हस्ताक्षर करवाये गये। पेनड्राईव को पेनड्राईव के पैकिंग कवर में रखकर, कॅवर पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा सफेद कपडे की थैली में रख सीलचिट कर मार्क PN अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दोनों सीडीयो पर संबंधितो के हस्ताक्षर करा पृथक-पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया। फर्द मुर्तिब व जप्ती पेनड्राईव पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 10.15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कानि द्वारा परिवादी, आरोपी श्री भरत एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री नगजीराम व आरोपी श्री भरत कुमार मीणा पटवारी के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, मोबाईल फोन पर हुई दो वार्ताओ व वक्त रिश्वत राशि लेन देन के दौरान हुई वार्ता जिन्हे ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी अल्ट्रा 16 जीबी बरंग लाल व ग्रे में रिकॉर्ड किया गया, उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को लेपटॉप से कनेक्ट कर मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा वार्ताओं की वाईस रिकॉडिंग फाईल की हेशवैल्यू लेपटॉप में इनस्टॉल AccessData FTK Imager सोफ्टवेयर का उपयोग कर निकाली गई, तो मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा वार्ताओं, पेनड्राईव में सुरक्षित की गई वार्ताओ एवं दोनों सीडियों में सुरक्षित की गई वार्ताओं की वाईस रिकॉडिंग फाईल की हेशवैल्यू एक समान रही। जिस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी अल्ट्रा 16 जीबी बरंग लाल व ग्रे को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर से निकालकर मूल मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक की डिब्बी में सुरक्षित रखकर सफेद कपडे की थैली में सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द जप्ती मूल मेमोरी कार्ड मुर्तिब कर मार्क M अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री भरत कुमार मीणा, पटवारी का मोबाईल फोन रेडमी कम्पनी का बरंग नीला जप्त किया जाकर सफेद कपडे की थैली में सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर जरिये फर्द जब्त किया गया। समय करीब 11.00 पीएम पर आरोपी श्री भरत कुमार मीणा पटवारी के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही एवं आरोपी के किराये के मकान की खाना तलाशी के दौरान मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री राजेश कानि. के मोबाईल फोन ओप्पो कम्पनी से विडियोग्राफी करवाई गई थी, उक्त मोबाईल फोन को लेपटॉप से श्री दिनेश कानि. से कनेक्ट करा ऑडियो विडियोग्राफी को एक पेनड्राईव सेनडिस्क कम्पनी 32 जीबी बरंग लाल व काला में सुरक्षित किया जाकर पेनड्राईव को पेनड्राईव के पैकिंग कवर में रखकर, कॅवर पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा सफेद कपडे की थैली में रख सीलचिट कर जरिये फर्द कब्जे ब्यूरो लिया गया। समय करीब 11.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री भरत कुमार पुत्र श्री सुरज्ञानी जाति, मीणा, उम्र 29 वर्ष, निवासी गांव गागर सोली, तहसील व पुलिस थाना कुम्हेर, जिला भरतपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल, ढूंढीया, तहसील मावली, जिला उदयपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से धारा 35 बी.एन.एस.एस., 2023 की पालना की जाकर

नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। दिनांक 10.09.2024 को समय करीब 12.20 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री नगजीराम को पुलिस थाना फतहनगर से रूकसत किया गया, तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो टीम सदस्य मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री भरत कुमार पटवारी मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, पिन्टर, सिलचिटशुदा आर्टिकल्स व आवश्यक संसाधन प्राईवेट व सरकारी वाहनो के पुलिस थाना फतहरनगर से ब्यूरो कार्यालय के लिये रवाना ब्यूरो कार्यालय पहुचे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दौराने ट्रेप कार्यवाही जप्त किये गये सिलचिटशुदा आर्टिकल्स को श्री दिनेश कानि. को सम्भलाये जाकर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करा मालखाना कक्ष में सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 01.00 पीएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वंत्रत गवाहान एवं आरोपी श्री भरत कुमार मीणा के समक्ष आरोपी श्री भरत कुमार मीणा, हाल पटवारी, पटवार मण्डल ढुंढीया, तहसील मावली, जिला उदयपुर की परिवादी श्री नगजीराम जाट से दिनांक 06.09.2024 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 09.09.2024 को परिवादी श्री नगजीराम व आरोपी श्री भरत कुमार मीणा पटवारी के मध्य मोबाईल फोन पर हुई वार्ताओ व वक्त रिश्वत राशि लेन देन के दौरान हुई रूबरू वार्ता, जिनकी डब सीडी को ब्यूरो के लेपटॉप में चलाकर सीडी में सेव उक्त वार्ताओं को बारी बारी से चलाकर श्री सम्पत सिंह भाटी पुत्र श्री किशन सिंह भाटी, उम्र 59 वर्ष, निवासी माधुपुरा, मजरा आलोली, पुलिस थाना गंगापुर, जिला भीलवाडा हाल नायब तहसीलदार, कार्यालय उप तहसील सनवाड, तहासील मावली, उदयपुर को सुनाई गई, तो उक्त दर्ज वार्ताओ में श्री सम्पत सिंह भाटी ने एक आवाज श्री भरत कुमार मीणा पटवारी, पटवार मण्डल ढुंढीया, तहसील मावली की होना बताया, आरोपी श्री भरत कुमार, श्री सम्पत सिंह भाटी के अधिनस्त पदस्थापित होने से उनके द्वारा आरोपी की आवाज पहचानना बताया तथा अन्य आवाज की पहचान नहीं की गई। फर्द आवाज पहचान मूर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री भरत कुमार मीणा पटवारी को मय रिमाण्ड के माननीय न्यायाधीश सेशन एवं विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण मामलात क्रम 1, उदयपुर के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी श्री भरत कुमार मीणा पटवारी को जेसी आदेशित करने पर जेसी वारण्ट प्राप्त कर केन्द्रिय कारागृह, उदयपुर में जमा करवाया गया। इस प्रकार आरोपी श्री भरत कुमार मीणा पटवारी पटवार मण्डल, ढुंढीया, तहसील मावली, जिला उदयपुर द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री नागजीराम जाट से उसके द्वारा राजस्व ग्राम भीलाखेडा पटवार मण्डल ढुंढीया, उपतहसील सनवाड, तहसील मावली, उदयपुर में स्थित क्रय की गई कृषि भूमि के नामान्तरण में शुद्धिकरण करने एवं शुद्धिपत्र की नकल देने की एवज में दिनांक 06.09.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 10,000/- रूपये की मांग कर 9,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमति देना व मौके पर 4,000/- रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करना तथा दिनांक 09.09.2024 को रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता के दौरान मांग अनुसार शेष रिश्वत राशि 5,000/- रूपये ग्रहण करना जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपी श्री भरत कुमार पुत्र श्री सुरज्ञानी, जाति मीणा, उम्र 29 वर्ष, निवासी गांव गागर सोली, तहसील व पुलिस थाना कुम्हेर, जिला भरतपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल ढुंढीया, तहसील मावली, जिला उदयपुर के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करवाने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय, (राजीव जोशी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों एसयू, उदयपुर.......... कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपार्ट श्री राजीव जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट में जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित2018) में आरोपी श्री भरत कुमार पुत्र श्री सुरज्ञानी, निवासी गॉव गांगरसौली, तहसील व पुलिस थाना कुम्हेर, जिला भरतपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल ढूंढीया, तहसील मावली, जिला उदयपुर के विरूद्ध प्राप्त होने पर श्रीमान महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार प्रकरण दिनांक 12-09-2024 को दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री कैलाश सांदू,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनमचा आम रपट संख्या 195 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1069-72 दिनांक 12-09-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर। 2- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 3- जिला कलक्टर, उदयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.,उदयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KAILASH SINGH SANDU **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]/2024 1[illegible]8

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/04/1995				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)